राज्य स्वास्थ्य अभिकरण
अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना

डाण्डा लखौण्ड, सहस्त्रधारा रोड, देहरादून –248001
ई–मेलः ayushmanuttarakhand@gmail.com

अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना की अध्यक्षता में दिनांक– 15 अक्टूबर 2019 को 4 बजे आहुत कार्यकारिणी समिति की बैठक का कार्यवृत्तः–

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2019–20 / 1065 दिनांकः– 31.10.2019

बैठक में उपस्थित कार्यकारिणी समिति के सदस्यों का विवरण–

1. श्री अरुणेन्द्र सिंह चौहान, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. डा0 डी0के0 चकपाणी, प्रतिनिधि, महानिदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
3. डा0 अभिषेक त्रिपाठी, निदेशक–प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. श्री डी0डी0 जोशी, निदेशक– वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. डा0 अर्चना श्रीवास्तव, निदेशक–मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।

अन्य प्रतिभागियों का विवरण–

1. श्रीमती पूनम चंदेल, प्रशासनिक अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
2. श्री पंकज कुमार, आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. डा0 आकाश श्रीवास्तव, अनुश्रवण एवं मूल्यांकन प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
4. श्री अजय नेगी, वित्त प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. श्री संदीप बिष्ट, वित्त प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. डा0 मदन मोहन, प्रतिनिधि, कियान्वयन सहायता एजेंसी।

उक्त बैठक में निम्न बिंदुओं पर चर्चा की गई एवं निर्णय लिए गए जिनका विवरण निम्नानुसार हैः

1. कार्यकारिणी समिति की दिनांक 19 सितम्बर 2019 को आहुत बैठक के जारी कार्यवृत्त की पुष्टि की गयी।

2. Quick audit committee द्वारा दिनांक 24 सितम्बर 2019 से आतिथि तक प्रस्तुत रिपोर्ट के अनुसार की जा रही कार्यवाही पर एवं Quick audit परफोर्मा पर कार्योत्तर स्वीकृति प्रदान करते हुए समय–समय पर Quick audit से संबंधित समीक्षा करने एवं कार्यकारिणी की बैठक में प्रगति रिपोर्ट प्रस्तुत करने हेतु भी निर्देशित किया गया। **(कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)**

3. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के अंतर्गत office accommodation हेतु प्राप्त 04 निविदाओं की तकनीकी बिड खोली गई। 02 फर्मो द्वारा Technically Qualified होने पर **(Shree International Technology and Phronesis BPO & IT Service Pvt. LTD)** संबंधित फर्मो की वित्तीय निविदा दिनांक 05 अक्टूबर 2019 को खोली गई। मै0 **Phronesis BPO & IT Service Pvt. LTD** द्वारा प्रस्तुत दरों पर negotiation उपरांत संबंधित फर्म द्वारा रु0 552825/– + 18% GST प्रति माह 3 + 2 वर्ष हेतु कार्य करने की सहमति प्रदान की गई है। जिस पर सैद्धांतिक सहमति प्रदान करते हुए संबंधित फर्म से किराया रेट से संबंधित जिलाधिकारी, देहरादून द्वारा हस्ताक्षरित प्रमाण–पत्र प्राप्त

30.10.19

Scanned by CamScanner

करते हुए मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। (कार्यवाही– निदेशक, वित्त)

4. मै0 गुंजन एंटरप्राईजेज द्वारा भुगतान हेतु शेष धनराशि के संबंध में प्रेषित अनुरोध पत्र के संबंध में चर्चा करते हुए संबंधित प्रकरण पर सूचना विभाग से परामर्श लेने हेतु निर्देशित किया गया।

(कार्यवाही– निदेशक, वित्त)

5. अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना के वित्तीय वर्ष 2019-20 के प्रशासनिक व्यय हेतु बजट आवंटन की कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत किया गया। चूँकि क्रियान्वयन सहायता एजेंसी (ISA) को दिये जाने वाला शुल्क Claim payment का हिस्सा है, अतः प्रशासनिक व्यय के बजट में क्रियान्वयन सहायता एजेंसी का शुल्क न सम्मिलित करते हुए बजट को मुख्य कार्यकारी अधिकारी स्तर से पत्रावली पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत करने के निर्देश दिये गये। (कार्यवाही– निदेशक, वित्त)

6- योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध Complete Medical Institute, हरिद्वार एवं Vohra Mother and Child Care Nursing Home, देहरादून को हस्ताक्षरित अनुबंध में वर्णित सेक्शन 11 पैरा-2 के अनुसार 01 माह का नोटिस निर्गत करते हुए अनुबंध समाप्त करने हेतु सहमति प्रदान की गई। साथ ही क्रियान्वयन सहायता एजेंसी को डायलिसिस के 17 मरीजों को डायलिसिस की सुविधा राजकीय मेला चिकित्सालय, जनपद हरिद्वार से प्राप्त करने हेतु सूचित करने हेतु निर्देश दिये गए।

(कार्यवाही– निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, क्रियान्वयन सहायता एजेंसी)

7- "Some Guide Points to EHCP's for Claim Payment- V.1" पर अनुमोदन प्राप्त करने हेतु प्रस्तुत guide points का पुनः परीक्षण करने एवं अनुमोदन हेतु मुख्य कार्यकारी अधिकारी के सम्मुख पत्रावली प्रस्तुत किये जाने हेतु निर्देशित किया गया। (कार्यवाही– निदेशक, प्रशासन)

8- दिनांक 31 जुलाई 2019 तक चिकित्सालयों द्वारा PPD अप्रूवल के उपरांत क्लेम्स फाईल न करने पर ऐसे PPD अप्रूव्ड क्लेम्स रिजैक्ट करने के संबंध में चर्चा करते हुए दिनांक 31 जुलाई 2019 तक की cut off date रखते हुए ऐसे समस्त PPD अप्रूव्ड क्लेम्स रिजैक्ट करने हेतु NHA को संदर्भित करने के निर्देश दिये गए। (कार्यवाही– निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट)

9- योजना के अंतर्गत सूचीबद्ध होते हुए भी आतिथि तक शून्य क्लेम करने वाले निम्न 04 चिकित्सालयों को 01 माह का नोटिस निर्गत करते हुए उनकी सूचीबद्धता समाप्त करने के निर्देश दिये गए–:

I. Shree Eye Care, Dehradun
II. Shed Hospital, Dehradun
III. Garibo Ka Hospital, Dehradun
IV. Shri Sita Ram Aggarwal Dharmarth Medical Centre Shakti Upasana Trust, Haridwar

Bharat Heart Institute, Dehradun वर्तमान में Velmed Hospital द्वारा संचालित किये जाने के संबंध में चिकित्सालय से लिखित रुप में दस्तावेज प्राप्त करने के निर्देश दिये गए। अन्य शेष चिकित्सालयों यथा

i. S.K.Memorial Hospital, Dehradun
ii. Synergy Institute of Medical Science, Dehradun

30.10.19

Scanned by CamScanner

III. Christian Hospital, Tehri Garhwal

से पृथक से बैठक करने का निर्णय लिया गया। **(कार्यवाही– निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट)**

10- ऐसे राजकीय चिकित्सालय जिन्हें पी0पी0पी0 मोड में संचालित किया जा रहा है (जिला चिकित्सालय–बौराड़ी, सी0एच0सी0 बेलेश्वर, सी0एच0सी0 देवप्रयाग जनपद टिहरी गढ़वाल, सी0एच0सी0 डोईवाला, जनपद देहरादून) के संबंध में यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्लेम भुगतान राजकीय चिकित्सालय के सरकारी खाते में जमा किया जा रहा है। इसके अतिरिक्त ऐसे राजकीय चिकित्सालय जहाँ पी0पी0पी0 मोड में डायलिसिस की सुविधा दी जा रही है (सोबन सिंह जीना बेस चिकित्सालय, हल्द्वानी, जनपद नैनीताल, पंडित दीनदयाल उपाध्याय कोरोनेशन चिकित्सालय, जनपद देहरादून, राजकीय मेला चिकित्सालय, जनपद हरिद्वार, जिला चिकित्सालय, रुद्रपुर, जनपद ऊधमसिंह नगर, संयुक्त चिकित्सालय, कोटद्वार, जनपद पौड़ी गढ़वाल) के संबंध में भी यह सुनिश्चित कर लिया जाये कि क्लेम भुगतान राजकीय चिकित्सालय के सरकारी खाते में जमा किया जा रहा है।

(कार्यवाही– निदेशक, वित्त)

अन्त में बैठक सधन्यवाद सम्पन्न हुई।

(अरुणेन्द्र सिंह चौहान)
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
राज्य स्वास्थ्य अभिकरण
तददिनाँकित।

पत्रांक–अ0आ0उ0यो0 / कार्यवृत्त / 2019–20 / 1065

प्रतिलिपिः

1. सचिव, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड शासन के सादर संज्ञानार्थ।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

2. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
3. महानिदेशक, चि0स्वा0 एवं परिवार कल्याण, उत्तराखण्ड।
4. निदेशक, प्रशासन, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
5. निदेशक, वित्त, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
6. निदेशक, क्लेम मैनेजमेंट, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
7. निदेशक, मेडिकल एवं क्वालिटी, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना।
8. आई0टी0 सह डाटा प्रबंधक, अटल आयुष्मान उत्तराखण्ड योजना को उक्त कार्यवृत्त वेबसाईट में अपलोड करने की आवश्यक कार्यवाही हेतु।

30.10.19

(डा0 अभिषेक त्रिपाठी)
निदेशक–प्रशासन
राज्य स्वास्थ्य अभिकरण

अनुमोदित।

(दिलीप कुमार कोटिया)
अध्यक्ष, कार्यकारिणी समिति
राज्य स्वास्थ्य अभिकरण

Scanned by CamScanner